

**राजस्थान सरकार**  
**कृषि आयुक्तालय, राजस्थान, जयपुर**

क्रमांक प.2(सब)जी-39/22-23-पार्ट/आ.कृ/ग्रुप-9/

दिनांक:

**कार्यालय आदेश**

राजस्थान सेवा नियम के नियम 56 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के अन्तर्गत निम्नानुसार सहायक कृषि अधिकारियों जो कि अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, को उनके नाम के सम्मुख कॉलम नम्बर 4 में अंकित तिथि को मध्याह्न पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है-

क्र. सं.	नाम सहायक कृषि अधिकारी	जन्मतिथि	अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने की दिनांक	कार्यालय का नाम
1	2	3	4	5
1	नारायण राम हिन्दड	01.07.1962	30.06.2022	सहायक निदेशक कृषि (वि) मेडतासिटी
2	रामेश्वर लाल तोतला	09.06.1962	30.06.2022	सहायक निदेशक कृषि (वि) भीलवाड़ा
3	जन्तू राम मीणा	30.08.1962	31.08.2022	सहायक निदेशक कृषि (वि) हिण्डोन सिटी
4	हरिसिंह जाटव	05.08.1962	31.08.2022	सहायक निदेशक कृषि (वि) हिण्डोन सिटी
5	अनोप सिंह चम्पावत	10.08.1962	31.08.2022	सहायक निदेशक उद्यान पाली
6	हरिशंकर पण्ड्या	23.09.1962	30.09.2022	सहायक निदेशक कृषि (वि) सागवाड़ा
7	मोतीलाल परमार	21.09.1962	30.09.2022	सहायक निदेशक कृषि (वि) सागवाड़ा
8	ओम प्रकाश स्वर्णकार	25.10.1962	31.10.2022	सहायक निदेशक कृषि (वि) गिर्वा
9	लाल चन्द बैरवा	10.11.1962	30.11.2022	सहायक निदेशक कृषि (वि) अलवर
10	सुधीर चौहान	29.12.1962	31.12.2022	सहायक निदेशक कृषि (वि) गिर्वा
11	गुलाब सिंह राव	08.01.1963	31.01.2023	सहायक निदेशक कृषि (वि) कोटड़ी

५

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नामित कार्मिकों में से क्रम संख्या 3,4,5,8,9,10 एवं 11 पर अंकित कार्मिकों को छोड़कर अन्य सभी कार्मिकों के विरुद्ध :-


- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील)नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है ।

(काना राम)  
आयुक्त कृषि

(नोट:- इस आदेश के जारी होने की दिनांक से उपरोक्त सहायक कृषि अधिकारी की सेवानिवृत्त दिनांक तक की अवधि में यदि कार्मिक के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच प्रस्तावित हो जाती है तो आयुक्तालय को अविलम्ब अवगत करावें ताकि विभागीय जांच बकाया नहीं होने का जारी किया गया प्रमाण-पत्र निरस्त किया जा सके।)

क्रमांक प.2(सब)जी-39/22-23-पार्ट/आ.कृ/गुप-9/23709-742 दिनांक: 20-06-2022  
प्रतिलिपी:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- 1- निदेशक पेंशन विभाग, राजस्थान जयपुर।
- 2- आयुक्त उद्यान, उद्यान आयुक्तालय, जयपुर।
- 3- संयुक्त निदेशक कृषि (वि0) खण्ड सीकर/ भीलवाड़ा /भरतपुर /जालौर /उदयपुर।
- 4- उप निदेशक कृषि (वि0) जिला परिषद् नागौर भीलवाड़ा/अलवर/ उदयपुर /बांसवाड़ा।
- 5- सहायक निदेशक कृषि (वि0) मेड़तासिटी /भीलवाड़ा /हिण्डोनसिटी /सागवाड़ा/अलवर /गिर्वा/कोटडी।
- 6- सहायक निदेशक उद्यान पाली।
- 7- **श्री.जा.दी.मि.या, सच. जे.श्री.** मुख्यालय जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
- 8- सम्बन्धित कार्मिक.....।
- 9- निजी पंजिका।

  
(के0 सी0 मीना)  
संयुक्त निदेशक कृषि(प्रशासन)